EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 1st April, 2022

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2022

संख्या 15/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 21 और 59/2022.– हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 09/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 9/2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं, शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, पंजाब आसवनी नियम, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. ये नियम पंजाब आसवनी (हरियाणा संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब आसवनी नियम, 1932 में, नियम 16क के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"16ख. (1) अनुज्ञप्तिधारी, पाइपलाइनों से गुजरने वाले स्पिरिट के द्रव्यमान प्रवाह को सटीक रूप से मापने के अनुक्रम में स्टिल्स और स्पिरिट रिसीवर्स के बीच पाइपलाइनों पर और साथ ही स्पिरिट स्टोरेज टैंक और लोडिंग पॉइंट के बीच पाइपलाइनों पर द्रव्यमान प्रवाह मीटर स्थापित करेगा। रिसीवर या स्टोरेज वैट से ब्लेंडिंग वैट तक जाने वाली सभी पाइपलाइनों पर भी द्रव्यमान प्रवाह मीटर स्थापित किए जाएंगे। द्रव्यमान प्रवाह मीटर की स्थापना की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाएगी।

(2) द्रव्यमान प्रवाह मीटर से इस प्रकार प्राप्त स्पिरिट की मात्रा, तीव्रता, तापमान और घनत्व को स्पिरिट के स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए आसवनी में रखे गए संबंधित रजिस्टर में वर्णित किया जाएगा। आसवनी से स्पिरिट की आवाजाही के लिए उक्त रजिस्टर में पास की प्रविष्टि भी की जानी आवश्यक है।

(3) आसवनी में इस प्रकार स्थापित द्रव्यमान प्रवाह मीटरों की स्थापना के समय पर मानकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा

मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से इसकी स्थापना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद उक्त मीटर को फिर से मानकीकृत करवाया जाएगा:

परन्तु यदि किसी आसवनी का प्रभारी अधिकारी किसी भी समय उक्त मीटर का मानकीकरण करना आवश्यक समझे, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला से मानकीकरण करवाएगा। द्रव्यमान प्रवाह मीटर के मानकीकरण की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाएगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि एक्सट्रा न्यूट्रन एल्कोहल के उत्पादन और प्रेषण के लिए उक्त मीटर की रीडिंग, हर आधे घंटे में दर्ज की जाती है। अनुज्ञप्तिधारी विभाग के आईटी सिस्टम को रीडिंग को संप्रेषित करने में समर्थ बनाने हेतु एक इंफोटेक सिस्टम भी स्थापित करेगा, हर आधे घंटे में द्रव्यमान प्रवाह मीटर की रीडिंग को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने के लिए, जब कभी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित करे। दिन की प्रारंभिक और अंतिम रीडिंग (समापन के समय), आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित प्ररूप घ–30 में रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी, नब्बे दिन की न्यूनतम अवधि के लिए डेटा बैकअप रखेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि आसवनी में स्थापित द्रव्यमान प्रवाह मीटर उचित कार्यशील स्थिति में है और पाइपलाइन में बहने वाले तरल के माप के संबंध में सटीक इनपुट दे रहा है। यदि अनुज्ञप्तिधारी यह पाता है कि स्थापित प्रवाह मीटर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मीटर से प्रेषण रोक देगा, जो इस तथ्य को सत्यापित करने के बाद ही पुनः प्रारंभ होगा कि ऐसा मीटर प्रभारी अधिकारी की संतुष्टि अनुसार उचित क्रम में कार्य कर रहा है। अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में प्रभारी अधिकारी को मास में एक बार निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र देगा, अर्थात्:–

प्रमाणपत्र

"मैं .... (अनुज्ञप्तिधारी और आसवनी का नाम) इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि, मैंने अपनी इकाई में स्थापित सभी द्रव्यमान प्रवाह मीटरों की जांच कर ली है। सभी द्रव्यमान प्रवाह मीटर कार्यशील हैं और ठीक रूप में काम कर रहे हैं और कोई द्रव्यमान प्रवाह मीटर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि

प्रवाह प्रक्रिया की सटीक रिकॉर्डिंग को छुपाने के लिए प्रवाह मीटर को किसी भी तरह से बाईपास नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

(स्वामी/प्रबंध निदेशक/इकाई का परिचालन प्रमुख)

(6) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त उप–नियम (5) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो इकाई से प्रेषण तुरंत रोक दिया जाएगा।

(7) यदि द्रव्यमान प्रवाह मीटर की कार्यप्रणाली में कोई विसंगति प्रभारी अधिकारी के संज्ञान में आती है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी करेगा और यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया गया उत्तर प्रभारी अधिकारी की संतुष्टि अनुसार नहीं है, तो वह मामले को कलेक्टर (आबकारी) के पास आगामी कार्रवाई के लिए भेजेगा। कलेक्टर (आबकारी) का निर्णय अंतिम होगा।

(8) आबकारी आयुक्त, यदि वह प्रवाह मीटरों की स्थापना और सुचारू संचालन के लिए इसे आवश्यक या समीचीन समझता है, तो अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसे आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह उचित समझे और उसके बाद ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसे आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश का पालन किया जाएगा।

(9) इस नियम के उपबन्ध, राज्य में बॉटलिंग संयंत्रों के संचालन के लिए भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

व्याख्या :– "प्रवाह मीटर" से अभिप्राय है, कोई भी ऐसा उपकरण, जो एक पाइप के माध्यम से बहने वाले तरल के प्रवाह की दर को मापता है और "मास फ्लो मीटर" एक पाइपलाइन के माध्यम से बहने वाले तरल पदार्थ के द्रव्यमान प्रवाह को मापता है।"।

शेखर विद्‌यार्थी,
आबकारी तथा कराधान विभाग,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 1st April, 2022

No.15/X-1/P.A.1/1914/Ss.21 and 59/2022.— In exercise of the powers conferred under sections 21 and 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 09/X-1/P.A.1/1914/S.9/2020, dated the 28th January, 2020, I, Shekhar Vidyarthi, Excise Commissioner, Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Distillery Rules, 1932, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Distillery (Haryana Amendment) Rules, 2022.

2. In the Punjab Distillery Rules, 1932, after rule 16A, the following rule shall be inserted, namely:–

> "**16B.** (1) The Licensee shall install the mass flow meter on the pipelines between the stills and the spirit receivers as well as between the spirit storage tanks and loading point, in order to measure the mass flow of spirit passing through such pipeline accurately. The mass flow meters shall also be installed on all the pipelines going from the Receiver or Storage Vat to the Blending Vat and the cost of installation of mass flow meters shall be borne by the licensee.
>
> (2) The quantity, strength, temperature and density of the spirit so derived from the mass flow meter shall be mentioned in the relevant register kept in the distillery to record the stocks of spirit. An entry of the passes also required to be made in the said register for movement of spirit from the distillery.
>
> (3) The mass flow meters so installed in the distillery shall be standardized at the time of installation and shall be re-standardized after a period of three years from the date of its installation from laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, India (NABL).
>
> Provided that if the officer-in-charge of any distillery finds it necessary to standardize the said meter at any point of time, he shall by an order in writing may direct for getting the standardization done from a laboratory specified above and the cost of standardization of the mass flow meter shall be borne by the Licensee.

(4) The licensee shall ensure that the reading of the said meter qua production and dispatch of Extra Neutral Alcohol is recorded every half an hour. The Licensee shall also install an Infotech system, to digitally record the readings of the mass flow meters every half an hour, capable to communicate the readings to the IT system of the department, as and when directed by the Excise Commissioner. The initial and final readings of the day (at the time of closing), shall be recorded in the register in Form D-30, duly maintained by the officer-in-charge of the distillery. The licensee shall keep the data backup for a minimum period of ninety days.

(5) The Licensee shall ensure that the mass flow meter installed in the distillery is in proper working condition and is giving accurate input regarding measurement of the liquid flowing in the pipeline. In case, the licensee finds that the installed flow meter is not working properly, such licensee shall stop the dispatch from such meter, which shall resume only after verifying the fact that the such meter is in order to the satisfaction of the officer-in-charge. The licensee shall give a certificate in the following format to the officer-in-charge in this regard once in a month, namely: -

Certificate

"I............ (name of the licensee and distillery) hereby certify that, I have checked all the mass flow meters installed in my unit. All the mass flow meters are in order and are working properly and no mass flow meter has been tempered with. I further certify that the flow meter has not been bypassed in any manner to conceal the flow process accurate recordings."

Signature
(Owner/Managing Director/Operational Head of the Unit)

(6) In case, a licensee is unable to submit the aforesaid certificate as specified in sub-rule (5) above, the dispatch from the unit shall be stopped immediately.

(7) In case any discrepancy in the working of the mass flow meter comes to the notice of the officer-in-charge, he shall issue a notice to the licensee to explain the position and if the reply given by the Licensee is not to the satisfaction of the officer in-charge, he shall send the case to the Collector (Excise), for further action. The decision of the Collector (Excise), shall be final.

(8) The Excise Commissioner may, if he considers it necessary or expedient for installation and smooth functioning of flow meters, issue such orders, instructions or directions to the licensees, as it may deem fit and there upon all such licensees shall observed and follow such orders, instructions or directions.

(9) The provisions of this rule shall also apply mutatis-mutandis to the operation of bottling plants in the State.

Explanation:- "flow meter" means any device that measures rate of flow of a liquid travelling through a pipe and a "mass flow meter" means a device that measures the mass flow of liquids, flowing through a pipeline.".

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.